1580

आ०वी० रिमार्क
02/8/2021

APR-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

छोटू पु० बिरदा रेगर, नि० बनेवडी बनाम रामलाल पु० सरदार मुद्दि ग्राम बनेवडी
तह० नसीराबाद, अजमेर तह० नसीराबाद, अजमेर

किस्म मुकदमा 225 R.T. Act नम्बर 154 सन् 2021 (नसीराबाद)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री शहाबुद्दीन खान श्री	
02.8.21	यह अपील श्री शहाबुद्दीन खान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश/निर्णय दिनांक 13.7.21 प्रकरण संख्या 41/2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 R.T. Act ...... के तहत् पेश की गई। अपील बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन / स्थगन भी पेश किया गया है। अतः दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक ——— को वास्ते बहस एडमिशन एवं स्थगन/ ...... प्रार्थना पत्र पेश हेतु पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपने वाद में स्पष्ट किया कि अपीलांट अनुसूचित जाति का वृद्ध गरीब काश्तकार है प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट झगडालू एवं अधिक संख्या में व्यक्ति होने से न्यायालय में कानूनी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज या स्वीकार करना चाहिए जो नहीं कर गोलमाल तरीके से आगे पीछे के अन्य तथ्य लिख कर मूल बिनदू से भिन्न निष्कर्ष निकाल कर कानून नियम के अनभिज्ञता व कानूनी जानकारीयों का अभाव रहा तथा अपीलांट का केवल धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का ही वाद था। जिसमें केवल अपीलांट के खातेदारी कब्जे काश्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अवरोध नहीं करने की रिलीफ चाही जो तत्काल पारित करना न्याय का तकाजा था। उनके हितो की रक्षा न्यायालय द्वारा शीघ्र करना अति–आवश्यक है जो किसी खातेदार की भूमि में कोई व्यक्ति अतिक्रमण करने की धमकी देता है तो उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है जैसा कि 1984 आर.आर.डी. पेज 588 बउनवान नूर बनाम मकबूल, 2019(2) आर.आर.टी.(राज.) पेज 1534 बउनान बदाम सिंह बनाम रामलाल में रिकार्डेड खातेदार के कब्जे में हस्तक्षेप करने हेतु पाबंद किया जिसे (रेस्पोडेन्ट) को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहिए था। प्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जब कि रेस्पोडेन्टस बाहुबल झगडालू व्यक्ति होने एवं अधिक संख्या में होने से जबरन बेदखल करने पर सख्त आमादा है कभी भी प्रार्थी को बेदखल करके प्रार्थी की काश्त को नुकसान पँहुचा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व दखलदांजी नहीं करे, जबरन कब्जा नहीं करें एवं ना ही निर्माण कार्य करें तथा विवादित	लगातार

नामी.

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1641/2021/225 ...... बनाम रामलाल वगै.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री शहाबुद्दीन दीवान श्री	
लगातार	आराजी के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।	

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए अप्रार्थीगण / विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण के तलबी शेष है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही किया जाना है। इसलिए प्रथम दृष्टया हम अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करना उचित नहीं समझते हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि वे समस्त अप्रार्थीगण की तलबी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से तामीली करवाकर प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर